

विज्ञापन पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण
हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़
गजट / 38 सि. सं. भिलाई, दिनांक.
30-05-2001.



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014 — ज्येष्ठ 5, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा यथा जारी छत्तीसगढ़ कार्य नियम के नियम 13 के अंतर्गत भाग-पांच अनुपूरक अनुदेश के अनुदेश क्रमांक 2क के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, भारसाधक मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, एतद्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 9, 14 एवं धारा 40 की उप-धारा (1) एवं (4) के अधीन भूमि अर्जन से संबंधित मामलों को निराकृत करने के प्रयोजन के लिये संभागीय आयुक्त को पदेन सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ तथा एतद्वारा निर्देशित करता हूँ कि पदेन सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में संभागीय आयुक्त द्वारा उपरोक्त उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत निराकृत किये गये मामले, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निराकृत समझे जायेंगे.

हस्ता./-

(प्रेमप्रकाश पाण्डेय)

भारसाधक मंत्री

Raipur, the 26th May 2014

ORDER

No. F. 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers delegated under instruction 2A of Part-V Supplementary Instructions under Rule 13 of the Rule of Business as issued by the Governor under Article 166 of the Constitution of India, I, Prem Prakash Pandey, Minister-in-charge, Revenue and Disaster Management Department, hereby, authorize Divisional Commissioner to act as Ex-officio Secretary of Revenue and Disaster Management Department for the purpose of disposal of cases in respect of land acquisition under Section 9, 14 and sub-section (1) and (4)

of Section 40 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), and hereby direct that now disposed off cases under above mentioned sections by the Divisional Commissioner as Ex-officio Secretary, Revenue and Disaster Management Department shall be deemed to be disposal by the Government of Chhattisgarh.

Sd -
(Prem Prakash Pandey)
Minister-in-charge.